परमोड कोहली जे. के समक्ष

हरियाणा निजी कॉलेज गैर-शिक्षण कर्मचारी संघ (पंजीकृत) - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - उत्तरदाताओ

सीडब्लूपी 2009 का संख्या 6220

10 नवंबर, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 1998-नियम 2-राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12 अक्टूबर 1998-राज्य सरकार के कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रगति (एसीपी) योजना का लाभ प्रदान करना -सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों सहित विभिन्न बोर्डों/निगमों को एसीपी का लाभ प्रदान करने वाला परिपत्र दिनांक 12 अक्टूबर 1998 - सरकार, निजी स्कूलों को अनुदान सहायता प्रदान कर रही है - निजी मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को लाभ देने का हकदार माना गया है 1998 नियमावली के अनुसार ए.सी.पी.

निर्णीत, 12 अक्टूबर के परिपत्र के आधार पर। 1998 में अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत वैधानिक नियमों की घोषणा के बाद सरकार ने स्वयं न केवल सरकारी कर्मचारियों को, बल्कि सरकार सहित हरियाणा में विभिन्न बोर्डों/निगमों/कंपनियों/सहकारी संस्थानों आदि और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी लाभ देने का निर्णय लिया। सहायता प्राप्त कॉलेज/स्कूल। वर्तमान मामले में, माना जाता है कि स्कूलों को सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जा रहा है और परिपत्र के अनुसार जो लाभ अब तक सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध था, उसे सहायता प्राप्त संस्थानों और विभिन्न अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थानों तक भी बढ़ा दिया गया है। अत: उत्तरदाताओं का तर्क अस्वीकार किया जाता है।

(पैरा 7 एवं 9)

आर. के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता और उनके साथ पर्ताप सिंह, अधिवक्ता याचिकर्ता के लिये

आर. डी. शर्मा, डीएजी हरियाणा

परमोड कोहली जे. (मौखिख)

1. इसमें शामिल विवाद को ध्यान में रखते हुए और पक्षों के विद्वान वकीलों की सहमति से, इस याचिका का निपटारा प्रस्ताव स्तर पर ही किया जाता है।

2. याचिकाकर्ता हरियाणा निजी कॉलेजों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों का एक पंजीकृत संघ है। यह याचिका सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर

प्रगति (एसीपी) योजना का लाभ देने के लिए दायर की गई है। पार्टियों का यह स्वीकार किया गया मामला है कि उच्च मानक वेतनमान जो पहले राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया था, उसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित नई एसीपी योजना द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए एसीपी नियम, अर्थात् हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम 1998 को 7 जनवरी 1998 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इन नियमों को नियम 2 के आधार पर सरकार की विभिन्न श्रेणियों पर लागू किया गया था। कर्मचारी। 1998 के नियमों का प्रासंगिक उद्धरण निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और उद्देश्य:-

(1) इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 कहा जा सकता है।

(2) उन्हें जनवरी के पहले दिन से लागू माना जाएगा। 2006. जब तक सरकार द्वारा किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है।

(3) इन नियमों का उद्देश्य हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजनाओं की दो श्रेणियां प्रदान करना है- योजना की पहली श्रेणी कुछ संवर्गों/पदों के लिए समयमान निर्धारित करने वाली कैडर-विशिष्ट सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजनाएं हैं। योजना की दूसरी श्रेणी मुख्य रूप से सामान्य सुनिश्चित करियर प्रगति योजना के रूप में सेवा में ठहराव को दूर करना है। दूसरी श्रेणी की योजना यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी सरकारी कर्मचारी, जिनके कैडर किसी भी कैडर-विशिष्ट सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें कार्यात्मक पदोन्नति के परिणामस्वरूप वित्तीय उन्नयन सहित कम से कम तीन वित्तीय उन्नयन प्राप्त होते हैं। अपने पूरे करियर के दौरान. इसमें यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी दस साल से अधिक समय तक बिना किसी वित्तीय उन्नयन के रुका रहे, जब तक कि उसने पहले ही अपने करियर में तीन वित्तीय उन्नयन का लाभ नहीं उठा लिया हो।

2. सरकारी सेवकों की श्रेणियाँ जिन पर नियम लागू होता है:-

(1) इन नियमों द्वारा या इसके तहत अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, ये नियम सिविल सेवाओं और समूह 'ए' के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होंगे; 'बी', 'सी' और 'डी' हरियाणा सरकार के मामलों के संबंध में और उन लोगों के लिए जो हरियाणा सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और जिनका वेतन हरियाणा राज्य की समेकित निधि से डेबिट किया जाता है और इन नियमों की अनुसूची I में उल्लिखित हैं।

(2) ये नियम इन पर लागू नहीं होंगे:-

(ए) हरियाणा राज्य के मामलों के संबंध में काम करने वाले न्यायपालिका के अधिकारी;

(बी) ऐसे व्यक्ति जो पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं;

(सी) आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए व्यक्ति;

(डी) व्यक्तियों को मासिक आधार के अलावा अन्यथा भुगतान किया जाता है, जिसमें टुकड़ा-दर के आधार पर या दैनिक मजदूरी के आधार पर या समेकित संविदात्मक भुगतान पर भुगतान शामिल है;

(ई) व्यक्तियों का कोई अन्य वर्ग या श्रेणी जिसे सरकार आदेश द्वारा इन नियमों में निहित सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन से विशेष रूप से बाहर कर सकती है;"

3. राज्य सरकार ने वित्त विभाग की सहमति से 12 अक्टूबर, 1998 को एक और ज्ञापन (अनुलग्नक पी-2) जारी किया, जो हरियाणा सरकार के सभी वित्तीय आयुक्त/आयुक्त/सचिव को संबोधित था, जिसके तहत वेतन संशोधन का लाभ विभिन्न को दिया गया था। कर्मचारियों की श्रेणियाँ जो सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं हैं। इस परिपत्र की प्रस्तावना उन कर्मचारियों की श्रेणियों को इंगित करती है जिन्हें लाभ दिया गया था। परिपत्र की प्रस्तावना का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार है:-

"हरियाणा सरकार (वित्त विभाग में) ने सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों/स्कूलों सहित हरियाणा में बोर्डों/निगमों/कंपनियों/सहकारी संस्थानों आदि और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के वेतनमान के संशोधन पर विचार करने के लिए एक वेतन संशोधन समिति का गठन किया था। राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अनुमोदित वेतनमान का पैटर्न।

विभिन्न मुद्दों पर प्रत्येक श्रेणी के विचार-विमर्श के विवरण की जांच करने के बाद, वेतन संशोधन समिति ने सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, जिन्हें वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है।"

4. उपरोक्त परिपत्र में 10/20 वर्षों की सेवा के बाद उच्च मानक वेतनमान के प्रतिस्थापन को नई सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसा कि परिपत्र के पैरा 2 से स्पष्ट है जो निम्नानुसार है :-

"2. राज्य के सार्वजनिक उद्यम/संस्थान जो 10/20 वर्ष की सेवा के बाद उच्च मानक वेतनमान की योजना का पालन कर रहे हैं, ऐसे उद्यम अब राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एफडी द्वारा अधिसूचित नई सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना को अपनाएंगे (अनुसूची- I, भाग-II)।"

5. 12 अक्टूबर 1998 के उपरोक्त परिपत्र के आधार पर, याचिकाकर्ता सरकारी कर्मचारियों के बराबर एसीपी योजना के लाभ का दावा कर रहा है। उपरोक्त के अलावा, याचिकाकर्ता ने हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चंपा देव और अन्य (1) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है। उपरोक्त मामले में भी, निजी तौर पर प्रबंधित सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारियों के बराबर उच्च मानक वेतनमान का लाभ का दावा किया। उनका दावा उपरोक्त निर्णय में उल्लिखित राज्य सरकार के विभिन्न परिपत्रों पर आधारित था। निजी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के दावे पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की: -

"4. हरियाणा अध्यापक संघ के मामले (सुप्रा) में इस अदालत ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के समान वेतनमान और महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए। राजपाल शर्मा के मामले (सुप्रा) में भी यही सिद्धांत दोहराया गया है। इस स्थिति में, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि निजी स्कूलों के शिक्षक 8 फरवरी 1994 के परिपत्र के लाभों के हकदार होंगे, निर्विवाद है और इसलिए, हम विवादित फैसले के निष्कर्ष के उस हिस्से को बरकरार रखते हैं।"

6. उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मलिक ने तर्क दिया कि सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को एसीपी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, खासकर, जब वे इसके हकदार पाए गए हों। योजना के तहत अधिसूचित वेतनमान का लाभ यानी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए उच्च मानक वेतनमान। आगे यह तर्क

दिया गया है कि नई एसीपी योजना पहले के उच्च मानक वेतनमान के स्थान पर है, जैसा कि 12 अक्टूबर, 1998 के परिपत्र के पैरा 2 से स्पष्ट है।

7. हालाँकि, प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री शर्मा ने याचिकाकर्ता के दावे का गंभीरता से विरोध किया है। उनका पहला तर्क यह है कि एसीपी का लाभ सरकारी कर्मचारियों को अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों के आधार पर दिया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, केवल राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ देता है और चूंकि वैधानिक नियम ऐसा नहीं करते हैं। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों को किसी भी तरह का लाभ देने के लिए नियमों से हटकर कोई निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। हालांकि यह विवाद आकर्षक लगता है, लेकिन 12 अक्टूबर, 1998 के परिपत्र को पढ़ने से यह भ्रामक लगता है, जो अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत वैधानिक नियमों की घोषणा के बाद जारी किया गया है। इस परिपत्र के आधार पर, सरकार ने स्वयं ही विस्तार करने का निर्णय लिया इसका लाभ न केवल सरकारी कर्मचारियों को, बल्कि हरियाणा में सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों/स्कूलों सहित विभिन्न बोर्डों/निगमों/कंपनियों/सहकारी संस्थानों आदि और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। अपने कार्यकाल में इरादा स्पष्ट और स्पष्ट प्रतीत होता है। ऐसा ही मामला चंपा देवी (सुप्रा) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया। उस मामले में भी, उच्च मानक वेतनमान केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया था और यह केवल 9 फरवरी 1994 के परिपत्र के आधार पर था। इसका लाभ सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों को दिया गया था, स्थिति जस की तस बनी रही 12 अक्टूबर 1998 के परिपत्र का दृश्य।

8. श्री शर्मा ने चंपा देवी (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का भी उल्लेख किया है:-

> *"6. बहस के दौरान, हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित श्री आनंद ने अपने तर्क के समर्थन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए बाद के नियमों को हमारे सामने रखा कि यहां तक कि तथाकथित वेतनमान भी प्रदान किया गया था। 8 फरवरी 1994 का परिपत्र निजी स्कूलों के शिक्षकों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। हालाँकि, हम संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए उपरोक्त नियमों के प्रभाव के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं और पार्टियों को काम करना चाहिए उक्त नियमों के तहत उनके लिए उपचार उपलब्ध हैं।"*

9. जहां तक मौजूदा विवाद का सवाल है, इन टिप्पणियों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये टिप्पणियाँ गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों/निजी स्कूलों से संबंधित हैं जहां सरकार अनुदान सहायता नहीं दे रही

है। वर्तमान सहजता में, माना जाता है कि, स्कूलों को सरकार द्वारा सहायता अनुदान दिया जा रहा है और परिपत्र के आधार पर जो लाभ अब तक सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध था, उसे सहायता प्राप्त संस्थानों और विभिन्न अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थानों तक भी बढ़ाया गया है। अत: उत्तरदाताओं का तर्क अस्वीकार किया जाता है।।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाताओं को सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियमों के तहत एसीपी का लाभ बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। 1998 निजी मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के गैर-लीचिंग कर्मचारियों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति सक्षम प्राधिकारी को दिए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर।

आर.एन.आर.

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा